न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 40 / 2022

1 महेन्द्र सिंह कुल्हरी पुत्र बनवारीलाल
2 रामकली पत्नी बनवारीलाल जाति समस्त जाट निवासीगण सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
3 मु. सन्तोष पुत्री बनवारीलाल पत्नी आशीष
4 सुमन पुत्री बनवारीलाल पत्नी शुभकरण
5 अन्जु पुत्री बनवारीलाल पत्नी अमित जाति समस्त जाट निवासीगण श्योपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू
2 मैदा पुत्र बींजा जाति नायक निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
3 ताराचन्द पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू जिला झुन्झुनू (राज.) मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम मैदा वगैरह प्रार्थना पत्र अं. धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 08/2004 तारीख निर्णय दिनांक 23.07.2005

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः— 24-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2004 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व बनवारीलाल तथा पतासी व मैदा के विरूद्ध आराजी गत खसरा नम्बर 132 रकबा 8 बीघा 19 बिश्वा सरहद मौजा पीपल का बास तत्कालीन तहसील झुन्झुनू हाल तहसील मलसीसर के बाबत अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2005 के द्वारा स्वीकार कर आराजी गत खसरा नम्बर 132 रकबा 8 बीघा 19 बिश्वा सरहद मौजा पीपल का बास को सिवाय चक घोषित किये जाने के आदेश पारित कर तहसीलदार झुन्झुनू को उक्त भूमि से तुरन्त कब्जा प्राप्त करने हेतु आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

पारित किये। बनवारीलाल की मृत्यु हो चुकी है। बनवारीलाल के वारिस अपीलान्टस है। पतासी की मृत्यु हो चुकी है। पतासी के वारिस बनवारीलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 है। मैदा पुत्र बींजा जाति नायक निवासी सोनासर नामक व्यक्ति ग्राम सोनासर में आबाद नहीं है और उक्त मैदा नामक व्यक्ति के कोई वारिसान भी ग्राम सोनासर में आबाद नहीं है। उक्त आराजी पहले अकेले बनवारीलाल पुत्र माला कोम जाट साकिन सोनासर की खातेदारी में दर्ज रही। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 157 रकबा 2.26 हैक्टेर है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि बनवारीलाल पुत्र माला की खातेदारी की थी। विरासत में अपीलांट को प्राप्त होकर विरासतन नामान्तकरण दर्ज हुआ है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। विधिवत विभाजन हेतु पटवारी से नकल प्राप्त करने पर विचाराधीन निर्णय की जानकारी हुई है। इस पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। झुंझुनू जिले में सर्वप्रथम बने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त भूमि कब्जा काश्त के आधार पर बतौर शिकमी काश्तकार जैसा पुत्र रूडा जाति जाट साकिन देह की टीनेन्सी में दर्ज हुई जो निरन्तर उसकी मृत्यु तक उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही जैसा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मृतक जैसा के उत्तराधिकारी होने के कारण जरिये विरासतन माला पुत्र जैसा के नाम दर्ज हुई है। उसके हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में अपीलांट को मिली, माला, बनवारी व पतासी का भी देहान्त हो चुका है उसके वारिसान अपीलांटस संख्या 1 लगायत 5 है इस प्रकार विवादित भूमि किसी भी अनुसुचित जाति के सदस्य मैदा पुत्र बींजा नाम के व्यक्ति की नही रही, न वह टीनेन्ट हुआ बल्कि संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि जैसा की टीनेन्सी में दर्ज थी जो निरन्तर उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही व वह बतौर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झनूं)

टीनेन्ट काबिज काश्त रहा, जैसा की मृत्यु के पश्चात विरासतन अपीलांट काबिज हुये। ग्राम सोनासर में मैदा पुत्र बींजा नायक नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था नही उसका घर अथवा गुवाड़ी ग्राम में मौजूद है न ही उसके वारिसान इस गांव में निवास करते है राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त तथाकथित मैदा का कही भी नाम दर्ज नही है न वह उक्त भूमि का टीनेन्ट रहा, न कब्जा रहा। जब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था तो उसका टीनेन्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथाकथित मैदा के अस्तित्व बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया, न ही ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश किया जो राजस्व रिकार्ड पेश हुआ वह समस्त मृतक जैसा के नाम से बना हुआ है तथाकथित मैदा का विवादित भूमि से कोई भी सम्बंध व कब्जा नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना आधार के विवादित भूमि को अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि मानने में व उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश देने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2020(2) पेज 791, आर. आर.डी. 1992 पेज 239, आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1994 पेज 606, आर.आर.डी. 1992 पेज 117, आर.आर.डी. 1992 पेज 545, आर.आर.टी. 2006(1) एस.सी. पेज 383, आर.एल.डब्ल्यू 2011(1) पेज 321, आर.आर.डी. 1993 पेज 783, आरआरडी 2016 पेज 106, आरआरटी 2006 (1) पेज 383 एस.सी., आरआरटी 2006 (2) पेज 771 एच.सी., के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का युक्ति संगत कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अवलोकन व विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जैसा की खातेदारी की थी। विरासत में अपीलांट को प्राप्त होकर विरासतन नामान्तकरण दर्ज हुआ है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में झुंझुनू जिले में सर्वप्रथम बने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त भूमि कब्जा काश्त के आधार पर जैसा की टीनेन्सी में दर्ज हुई जो निरन्तर उसकी मृत्यु तक उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही जैसा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मृतक जैसा के उत्तराधिकारी होने के कारण जरिये विरासतन अपीलांट की टीनेन्सी में दर्ज हुई इस प्रकार विवादित भूमि किसी भी अनुसुचित जाति के सदस्य मैदा नाम के व्यक्ति की नही रही, न वह टीनेन्ट हुआ बल्कि संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि जैसा की टीनेन्सी में दर्ज थी जो निरन्तर उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही व वह बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त रहा, जैसा की मृत्यु के पश्चात विरासतन अपीलांट काबिज हुये। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त तथाकथित मैदा का कही भी नाम दर्ज नही है विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथाकथित मैदा के अस्तित्व बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया, न ही ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश किया एवं राजस्व रिकार्ड पेश हुआ वह समस्त मृतक जैसा के नाम से बना हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर था। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में वादी ने विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भूमि के हस्तान्तरण की जानकारी की दिनांक बिन्दु संख्या 6 में 14.06.1960 अंकित की है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा यह आवेदन दिनांक 08.07.2002 को प्रस्तुत किया गया है अर्थात जानकारी से 42 साल बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 383 में अभिनिर्धारित किया है कि " **Rajasthan Tenancy Act. 1955-Secs. 175,42(b), 214& Schedule III, Clause 66 (As stood prior to amendment)- Suit for ejectment & possession of land- Land of members of Schedure Caste – Transfre of land in favour of persons of higher caste- period of limitation for ejectment & possession was 12 years before amendment – Land transferred on 2-4-1964 & 4-5-1964 – Application filed u/Sec. 175 (4-A) on 22-11-1976- Held, Application was barred by limitation.** इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदन स्पष्ट रूप से परिसीमा बाधित होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर